



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फाल्गुन 6, 1935

No. 471]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2014

**का०आ० 551(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in) पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

सिक्किम राज्य सरकार द्वारा किताम पक्षी अभ्यारण, दक्षिणी सिक्किम, को इसके पारिस्थितिक, वनस्पतिजात, प्राणिजात और प्राकृतिक महत्व और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन अधिसूचना संख्यांक 37/एफ.ई.डब्ल्यूएमडी तारीख 17 जून, 2006 द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण, प्रसार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता को विचार करते हुए घोषित किया था;

और अभ्यारण का क्षेत्र 6.0वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल मान से 320-875 मीटर की उच्चतांश रेंज के उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा साल (शोरिया रोबोस्टा) और चील, देवदार (पीनस शॉक्सबुगी रोप्सबूगेरी) वनों का एक विशिष्ट संगम है जिसमें राष्ट्रीय पक्षी मयूर विशाल संख्या में रहते हैं। टर्मिनलिया, कास्तानोपिस, एंजेलहार्डटिया, बेटूला जाति के मिश्रित चौड़ी पत्ती के वनों में प्रमुख प्रजातियां हैं। सागौन (टिकटौना ग्रेंडिस) भी पाए जाते हैं;

और राज्य की दक्षिणी सीमा पश्चिमी बंगाल के साथ महारंगीत नदी द्वारा पृथक् सीमा बनाती है ;

और अभ्यारण में स्तनपायी में तेंदुआ (पेंथर पारडुस), असमी बानर (माका असामनसीस), लघुपुच्छ बानर (मकाका मुलाटा), भोंकू हिरण (मुनकियाकस मुंटजेक), जंगली शूकर (सुस सकरोफा), चीनी साल (मेनिस पेंटाडेक्टाइला), हिमालयी अकिरीटी सेही (हिस्ट्रिक्स ब्राचयूरा), हिमालयी मुसंग (पागुमा लारवाटा) आदि और सरीसृप में भारतीय शैल अजगर सामान्य है, का संगम है ;

और पक्षी प्राणिजात जिसके अंतर्गत भारतीय मयूर (पावो क्रिसटाटस), कालीज चकोर (लोफूरा ल्यूकोमेलाना) लाल जंगल मुर्गी (गैलस गैलस), सामान्य पहाड़ी तीतर (आरबोरोफिला टोरक्यूओला), महान पहाड़ी बसंता (मेगालेयमा विरेन्स), सुनहरा गला बसंता (मेगालेयना प्रेंकलिनी), हिमालयन सुनहरी पीठ तीन पैर वाला कठफोड़वा (डिनोपियम शोरी), भारतीय चितकबरा धनेश (एन्थाकोकेरस कोरोमेटस), और इसके समान भी है ;

और वन्य जीव और उसके पर्यावरण को संरक्षित, प्रचारित करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में किताम पक्षी अभ्यारण के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य में किताम पक्षी अभ्यारण के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 25 मीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार किताम पक्षी अभ्यारण की पश्चिमी सीमा से पच्चीस मीटर तक है और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार रंगिट नदी के बाहरी किनारे तक होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, उत्तर पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.1) की ओर 270 7'15" उत्तर अक्षांश और 880 21'51" पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.3) की ओर 270 6'33" अक्षांश तथा 880 20'39" पूर्व देशान्तर ; दक्षिण (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं. 4) की ओर 270 5'55" उत्तर अक्षांश और 880 21'7" पूर्व देशान्तर और दक्षिण पूर्व (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.5) की ओर 270 05'53" उत्तर अक्षांश तथा 880 21'34" पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध 1 के रूप में दिया गया है ।

(4) किताम पक्षी अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले दो ग्रामों अर्थात् ऊपरी किताम और निचला किताम इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं के साथ उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध 2 में दी गई है ।

(5) उपाबंध 2 में दिए गए ग्रामों का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसका अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान.—(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी ।

(2) जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंध, सिक्किम पुलिस, शहरी और आवास विकास, पर्यटन, ग्रामीण प्रबंध और विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग और भू-राजस्व तथा आपदा प्रबंध की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा ।

(3) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(4) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों के किस्म और कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, झीलों, अन्य जलाशयों और ठेकेदारी इकाइयों का अभ्यंकन करेगा।

(5) जोनल मास्टर प्लान सभी विधिमान्य अभिलिखित गैर वन्य भूमि के सिवाय होगा।

(6) जोनल मास्टर प्लान इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पैरा 4 में निर्दिष्ट कृत्यों के पालन के लिए राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रास्तपासंजोमास कहा गया है) के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा।

(7) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (4) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए उपायों को उपदर्शित करेगा और अनुबंधों को अधिकथित करेगा।

(8) पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू-उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि के कारण उदभूत स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके अंतर्गत पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट, वर्षा जल संचय, कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार आदि भी हैं, प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग किओस, रज्जुरेल इत्यादि और सुरक्षा बलों के कैंप से संबंधित क्रमशः मद सं० 12, सं० 25, सं० 26, सं० 30 और सं० 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा :

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा।

(9) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

(10) प्राकृतिक जलस्रोत-सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे।

(11) पर्यटन.—पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिकपर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा 3 के स्तंभ (2) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं० 30 को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(ग) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(घ) पर्यटन क्रियाकलाप भी जोनल मास्टर प्लान का एक भाग होगा।

(12) नैसर्गिक विरासत.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण

और संघारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(13) ध्वनि प्रदूषण.—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(14) वायु प्रदूषण.—पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(15) बहिस्रावों का निस्सारण.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(16) ठोस अपशिष्ट.—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(17) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—पारिस्थितिक संवेदी जोन जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(18) यानिक यातायात परिवहन.—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय स्थानीय निवासीयों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रतिषेध है ;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ;

					(ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए या विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	किसी परिसंकटमय सामग्री का उपयोग या उत्पादन ।	हां	-	-	
6.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
7.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	
8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिमोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
9.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं ( 100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबंधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्याधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण ।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन,	-	-	हां	

812 GI/14-2

	पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन				
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
13.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना	-	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाड़	-	-	हां	
15.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	-	हां	-	
19.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे वन्य-जीव अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।	-	हां	-	
20.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यानकृषि या कृषि आधारित देशीय माल

					से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
27.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी।
28.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 11, मद संख्या 25, मद संख्या 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस, रज्जुरेल इत्यादि	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बल कैंप	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (i) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार - अध्यक्ष ;
- (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (iii) मुख्य वन संरक्षक - क्षेत्रीय - सदस्य ;
- (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (vi) सिक्किम सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (vii) गोविंदवल्लभ पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सिक्किम का प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (viii) सिक्किम सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

- (ix) सिक्किम सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;
- (x) संबंधित जिले का कलक्टर- सदस्य ;
- (xi) संबंधित प्रभागीय वन्य अधिकारी पर्यावरण - सदस्य ;
- (xii) निदेशक, पर्यावरण विभाग, - सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।


(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

5. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या पारित किए जाने वाले, यदि कोई हों, आदेशों के अधीन होंगे ।



पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।



812 GI/14-3

## उपाबंध-2

किताम पक्षी अभ्यारण, दक्षिणी सिक्किम के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

क्रम सं.	नाम	अक्षांश			देशान्तर		
		डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1	ऊपरी किताम	27	6	56	88	20	52
2	निचला किताम	27	7	7	88	21	28

[फा. सं. 25/11/2013-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2014

**S.O. 551(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

**Draft Notification**

Whereas, the Kitam Bird Sanctuary, South Sikkim was declared by the State Government of Sikkim considering its ecological, floral, faunal, and nature significance and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 vide Notification No. 37/FEWMD dated the 17th June 2006;

And whereas, the area of the sanctuary is 6.0 square kilometers and it is located in the tropical eco-region at an altitudinal range of 320-875 metres from the mean sea level and harbours a unique association of Sal (*Shorea robusta*) and Chir Pine (*Pinus roxburghii*) forests which again nestles a large number of Peafowls, the national bird. Both are dominant species in the Mixed Broad-Leaved Forests of *Terminalia*, *Castanopsis*, *Engelhardtia*, *Betula* species. Teak (*Tectona grandis*) is also found;

And whereas, the State's southern boundary bordering with the West Bengal State is separated by the Great Rangeet River;

And whereas, the sanctuary harbours Common Leopard (*Panther pardus*), Assamese macaque (*Macaca assamensis*), Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*), Barking Deer (*Muntiacus muntjac*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Chinese Pangolin (*Manis pentadactyla*), Himalayan Crestless Porcupine (*Hystrix brachyura*), Himalayan Palm Civet (*Paguma larvata*) etc. among the mammals and among the reptiles, the Indian Rock Python is common;

And whereas, avi fauna includes Indian Peafowl (*Pavo cristatus*), Kalij Pheasant (*Lophura leucomelana*) Red Jungle Fowl (*Gallus gallus*), Common Hill Partridge (*Arborophila torqueola*), Great Hill Barbet (*Megalaima*

*virens*), Golden-throated Barbet ( *Megalaina franklinii*), Himalayan Golden-backed Three-toed Woodpecker (*Dinopium shorii*), Indian Pied Hornbill (*Anthracoceros coromatus*), and the like;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Kitam Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect, propagate the wildlife therein or its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 25 metres around the boundary of the Kitam Bird Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The extent of Eco-sensitive Zone is 25 meters from the boundary of the Kitam Bird Sanctuary and in the south-western part, the extent of Eco-sensitive Zone shall be up to the outer bank of the river Rangit.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27°7'15"N latitude and 88°21'51"E towards North East (**Reference point No.1 of map**); 27°6'33"N latitude and 88°20'39"E longitude towards west (**Reference point No.3 of map**); 27°5'55"N latitude and 88°21'7"E longitude towards south (**Reference point No.4 of map**) and 27°5'53"N latitude and 88°21'34"E longitude towards south east (**Reference point No.5 of map**).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) Two villages namely upper Kitam and Lower Kitam falling within the Kitam Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points are appended to this notification as **Annexure II**.

(5) The village(s) as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) For the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, the State Government shall prepare, in consultation with local people, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India.

(2) The Zonal Master Plan shall be prepared with the involvement of all concerned State Departments, such as Forest, Environment and Wildlife Management, Sikkim Police, Urban and Housing Development, Tourism, Rural Management and Development, Irrigation and Flood Control, Public Works Department and Land Revenue and Disaster Management for integrating ecological and environmental considerations into the said plan.

(3) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(4) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(5) The Zonal Master Plan shall exempt all legally recorded non- forestland.

(6) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (hereinafter referred to as the SESZMC), as referred to in para 4, for carrying out its functions of monitoring under the provisions of this notification.

(7) The Zonal Master Plan shall indicate measures and lay down stipulations for regulation of activities under column (4) of the Table specified in para 3.

(8) Change of land use of forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes into areas for commercial or industrial related development activities shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the SESZMC, and with the prior approval of the State Government, only to meet the residential needs of the local residents arising due to the natural growth of existing local population including the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 relating to rainwater harvesting, Cottage industries including village artisans, etc., Small scale industries not causing pollution, Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. and Security Forces Camp respectively specified in column (2) of the Table in para 3:

Provided further that no change in use of land from tribal usage to non-tribal usage shall be permitted without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(2 of 2007).

(9) The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(10) **Natural Springs.**- The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry, in their natural settings shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(11) **Tourism.**- The activity relating to tourism within Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(a) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in line with the central guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism, Government of India with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(b) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No.30 relating to Eco Tourism Facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. specified in column (2) of the Table in para 3;

(c) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the SESZMC;

(d) the tourism activities shall also form a component of the Zonal Master Plan.

(12) **Natural Heritage.**- The sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone shall be identified and incorporated in the Zonal Master Plan; all the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. in the Eco-sensitive Zone shall be preserved and the State Government shall draw up proper plan for their protection and conservation within six months from the date of publication of this Notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(13) **Noise pollution.**- The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(14) **Air Pollution.**-The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall be the authority to draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(15) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(16) **Solid Wastes.**- (a) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government vide notification number S.O. 908 (E), dated the 25<sup>th</sup> September 2000.

(b) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(c) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture.

(d) The inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(17) **Bio-medical Waste.**- the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 issued by the Central Government vide Notification No. - S.O. 630(E), dated the 20<sup>th</sup> July, 1998 and amended from time to time.

(18) **Vehicular Traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMC shall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulations for the time being in force.

**3. Activities to be prohibited and regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) the extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

812 GI/14-4

9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the micro hydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
14.	Vegetative fencing	-	-	Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.

23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within of Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

4. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim which shall comprise of:-

- (i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman;
- (ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Shillong --Member;
- (iii) Chief Conservator of Forests -Territorial- Member;
- (iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;


812 GI/14-5

- (iv) Representative from State Pollution Control Board-Member;
  - (v) One representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim – Member;
  - (vi) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member;
  - (vii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;
  - (viii) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;
  - (ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;
  - (x) Concerned District Collector—Member;
  - (xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment –Member;
  - (xii) Director, Department of Environment—Member Secretary.
- (2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under para 3, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
  - (5) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by the 31<sup>st</sup> March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.
5. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court.



Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



## Annexure II

## List of villages falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Kitam Bird Sanctuary, South Sikkim.

Sl.No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Upper Kitam	27	6	56	88	20	52
2.	Lower Kitam	27	7	7	88	21	28

[F.No. 25/11/2013-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'